## नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

## दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94 / 790— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए गांव नवधा फतेहपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात:—

अनुसूची

गांव नवधा फतेहपुर, तहसील और जिला गुड़िगांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस—पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 418/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'क' से शुरू करके अर्थात ड्राईंग में दर्शाए गए अनुसार उक्त गांव की पश्चिमी सीमा पर स्थित गांव हयातपुर की आयत संख्या 42 का उत्तर पश्चिमी कोना, इसके बाद पूर्व की ओर गांव हयातपुर की आयत संख्या 42 तथा 49 की उत्तरी सीमा के साथ—2 इसके बाद गांव बड़ा की आयत संख्या 19,18,17 और 16 की उत्तरी सीमा के साथ—2, इसके बाद दक्षिण की ओर गांव बड़ा की आयत संख्या 16 की पूर्वी सीमा के साथ—2, इसके बाद पूर्व की ओर गांव बड़ा की आयत संख्या 26 और 27 की उत्तरी सीमा के साथ—2, और गांव किनन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 27 की पूर्वी सीमा के साथ—2, और गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 7 और 8 की उत्तरी सीमा के साथ—2 बिन्दु ''ख' तक जहां यह 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजस्व, अधिसूचना संख्या 10 डी०पी0—81 / 8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा पहले ही घोषित गुड़गांव अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र संख्या III की सीमा से मिलती है।

पूर्वी: इसके बाद दक्षिण की ओर 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना 10 डी० पी0—81/8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा पहले ही घोषित गुड़गांव नियन्त्रित क्षेत्र संख्या—प्प की सीमा के साथ—2 बिन्दु ''ग'' तक जहां यह गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 18 की दक्षिणी सीमा से मिलती है।

दक्षिण: इसके बाद पश्चिम की ओर गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 18,17 और 16 की दक्षिण सीमा के साथ—2, इसके बाद दक्षिण की ओर उक्त गांव की आयत संख्या 21 और 23 की पूर्वी सीमा के साथ—2, इसके बाद पश्चिम की ओर गांव लखनौला की आयत संख्या 8,7 और 6 की दक्षिणी सीमा के साथ—2, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर आयत संख्या 31 की पूर्वी सीमा के साथ—2 और इसके बाद पश्चिम की ओर गांव नवधा फतेहपुर की आयत संख्या 31 और 32 की दक्षिणी सीमा के साथ—2, इसके बाद पश्चिम की ओर गांव नाहरपुर कासन की आयत संख्या 2,3 और 4 तथा गांव ककरौला की आयत संख्या 32, 33 और 34 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 बिन्दु "घ" तक जोकि गांव काकरौला की आयत संख्या 34 का दिक्षण पश्चिमी कोना है।

पश्चिमः इसके बाद उत्तर की ओर गांव कनकरौला की आयत संख्या 34, 28, 20, 14, 7 और 3 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 इसके बाद गांव मियोका की आयत संख्या 29 और 18 की पश्चिमी सीमा के साथ—2, इसके बाद पूर्व की ओर गांव मियोका की आयत संख्या 18 और 17 की उत्तरी सीमा के साथ—2 उस बिन्दु तक जहां यह गांव हयातपुर की पश्चिमी सीमा से मिलती है इसके बाद उत्तर की ओर गांव हयातपुर की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु "क" तक अर्थात प्रारम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

### HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

# TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

### The 25th January, 1994

No. PC-94/790- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Nawadha Fatehpur, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

#### **SCHEDULE**

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Nawadha Fatehpur, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg No. DTP(G) 418/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point 'A' i.e. north-western corner of Rect.No. 42 of village Hayatpur, located on western boundary of said village as shown on the drawing thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 42 and 49 of village Hayatpur, thence along northern boundary of Rect. Nos. 19, 18, 17 and 16 of village Badha, thence towards south along eastern boundary of Rect. No. 16 of of village Badha, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 26 and 27 of village Badha, thence towards south along the eastern boundary of rectangle no.27 of village Badha and along eastern boundary of Rect. No. 1 and 5 of village Sikandarpur Badha, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 7 and 8 of village Sikandarpur Badha upto point 'B' where it meets with the boundary of Gurgaon additional controlled area No. III already declared, –vide Haryana Govt. Gazette Notification No. 10DP-91/8039, dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981.

**East:** Thence towards south along the boundary of Gurgaon controlled area No. III already declared,- vide Haryana Govt. Gazette notification No. 10DP 91/8039 dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981 upto point 'C' where it meets with the southern boundary of Rect. No. 18 of village Sikandarpur Badha.

South: Thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 18,17 and 16 of village Sikandarpur Badha, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 21 and 23 of the said village, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 8,7 and 6 of village Lakhanaula, thence towards south west along eastern boundary of Rect. No. 31 and thence towards west along southern boundary of Rect. No. 31 and 32 of village Nawada Fatehpur, thence further towards west along the southern boundary of Rect. No. 2, 3 and 4 of village Naharpur Kasan and Rect. No. 32, 33 and 34 of village Kankraula upto point 'D' which is the south-west corner of Rect. No. 34 of village Kankraula.

**West:** Thence, towards north along the western boundary of Rect. No. 34, 28, 20, 14, 7 and 3 of village Kankraula, thence along western boundary of Rect. No. 29 and 18 of village Meoka, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 18 and 17 of village Meoka upto the point where it meets with the western boundary of village Hayatpur. Thence towards north along the western boundary of village Hayatpur upto point 'A' i.e. the point of start.

### PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.